

30.10.2025

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस.सी. राजोरिया उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एन.एम.जैन उपस्थित। वादीगण की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 27.05.2025 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि विक्रय शुदा भूमि में से शेष भूमि पूर्व में ही रेलवे द्वारा अवास की जा चुकी है, जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को होकर उससे संबंधित दस्तावेजात प्रतिवादीगण के कब्जे व अधिकार में है। अतः प्रतिवादीगण को रेलवे विभाग में अवासशुदा भूमि के सभी तथ्य व दस्तावेजात तलब कर प्रस्तुत करवाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश कर प्रतिवादी संख्या-2 से 4 ने निवेदन किया कि रेलवे विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि का कुछ भाग जो अवास की जा चुकी है, से संबंधित कोई दस्तावेज कब्जे में नहीं है। वादीगण चाहे तो इस संदर्भ में संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी, अजमेर से दस्तावेज प्राप्त कर स्वयं पेश कर सकते हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2009 को चुनौती दी गई है। वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र वाद को विलम्बित करने के आशय से पेश किया गया है, जो खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क पेश किया गया है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा के पेज संख्या 3 के पैरा संख्या-6 में अंकित किया गया है कि " शुद्धि पत्र दिनांक 30.12.2009 को निष्पादित एवं पंजीबद्ध करवाये गये, इस प्रकार इकरारनामे में दर्शायी भूमि, जिसका क्षेत्रफल 6-1-0 में से प्रतिवादी संख्या 1 बहैसियत मुख्तयारआम वादी के प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में बेनामे का पंजीयन क्षेत्रफल 3-19-13 भूमि का ही बेनामा का पंजीयन करवाया गया, कारण कि शेष भूमि रेलवे में पूर्व से ही अवास की जा चुकी थी।" उनका यह भी तर्क है कि उक्त अभिवचनों के अनुसार भूमि अवाप्ति से संबंधित दस्तावेजात प्रतिवादीगण के पास उपलब्ध होने के आधार पर ही अंकित किये गये हैं, इसलिए उक्त दस्तावेजात प्रतिवादीगण से तलब किये जावे।

उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 की ओर से प्रार्थना-पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया है कि प्रतिवादीगण द्वारा जो प्रार्थना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है, उसमें उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि उनके पास रेलवे द्वारा भूमि अवास की गई, वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उनका तर्क है कि उन्होंने पैरा संख्या 6 में जो उक्त तथ्य अंकित किये हैं, वे उनकी निजी जानकारी

व विश्वास के अनुसार पूर्ण सही होने का उन्हें संशय है। चूंकि ऐसा कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में वे ऐसे दस्तावेज को पेश करने में असमर्थ है, इस कारण प्रार्थना-पत्र निष्फल हो गया है। प्रार्थना-पत्र का उक्तानुसार निस्तारण किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय को आदेश 6 नियम 16 व्य.प्र.सं. के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में किसी भी अभिवचन में कि कोई भी ऐसी बात काट दी जावे या संशोधित कर दी जावे, जो अनावश्यक कलंकात्मक, तुच्छ या तंग करने वाली, अथवा जो वाद के ऋजु विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसमें उलझन डालने वाली या विलम्ब करने वाली अथवा जो अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है को विलोपित करने हेतु सक्षम है।

यहां यह उल्लेख करना समीचिन है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से दिनांक 16.07.2011 को पेश किये गये जवाबदावे के पृष्ठ संख्या 3 के पैरा संख्या 6 में जो तथ्य अंकित किये गये हैं, उस बाबत दौराने बहस यह तर्क देते हुए स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि में से जो भूमि रेलवे द्वारा अवाप्त की गई है, उससे संबंधित कोई भी दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं है, वरन जवाबदावे में अंकित तथ्य केवल मात्र निजी जानकारी व विश्वास के आधार पर अंकित किये गये हैं, जो कि पूर्णतः सत्य न होकर उनमें संशय है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के पास उक्त दस्तावेजात उपलब्ध न होने के कारण इस बाबत जवाबदावे के पैरा संख्या 6 में अंकित तथ्यों को विलोपित किया जाता है।

यहां यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि इससे किसी भी पक्ष के अन्य कोई अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होंगे तथा न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी भी नहीं की जा सकती है।

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 20.11.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।